समाचार-प्रकाशनार्थ:-

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सीवरेज व अमृत मशन के कार्यो की समीक्षा

रतलाम 24 फरवरी । नगर में अमृत मषन योजना के तहत चल रहे कार्यो की समीक्षा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने योजना के वाप्कोस कम्पनी के मुख्य तकनीकी सलाहकार श्री कृशण फड़केए रेसीडेन्ट इंजीनियर श्री संदीप बाथमए फील्ड इंजीनियर श्री वैभव षर्माए जयवरूडी इन्फ्राकोन के प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री हरेष डामोरए स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज (नाला) के ठेकेदार श्री नलीन पटेलए उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए निगम कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनी व उपयंत्रियों के साथ की।

स्टार्म वॉटर ड्रेनेज (नाला) प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान कार्य की प्रगति तथा अवरोधो के संबंध में वस्तृत चर्चा की गई तथा कार्य 31 मार्च तक निष्चित रूप से पूर्ण करने के निर्देष दिये गये। स्टार्म वॉटर ड्रेनेज (नाला) प्रोजेक्ट का संषो धत डीओक्यू षीघ्र तैयार कर षासन को प्रे शत कये जाने के निर्देष निगम आयक्त श्री झारिया ने समीक्षा बैठक में दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे षत कया क नालों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ऐसे स्थल जहां नाले की दीवार के बनने बाद अ धक स्थान उपलब्ध हो वहां पर हरियाली वक सत करने हेतु चन्हीत कया जाये क्योंकी सीवरेज प्रारंभ होने के बाद नालों में सर्फ बरसाती पानी ही बहेगा घरो का नहीं।

सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देष दिये क योजना कार्य 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कया जाये। पीडीएमसी द्वारा बताया गया क मात्र 13 कलोमीटर सीवर लाईन बिछाई जाना षेश है। सैलाना मुख्य मार्ग के सहारे सीवर लाईन बिछाने हेतु एमपीआरडीसी की स्वीकृति नही मलने पर निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा पूर्व के पत्राचार संबंधी नस्ती उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये।

गुलमोहर कालोनीए राजस्व कालोनी सहित अन्य क्षेत्र जहां सीवरेज लाईन बिछाये जाने में अड़चने आने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने गुलमोहर कालोनी कल्याण स मति के अध्यक्ष श्री बलवंत भाटीए राजस्व कालोनी के पत्रकार श्री तुशार कोठारी सहित क्षेत्रों के नागरिकों को आमंत्रित कया व चर्चा कर समस्या का निराकरण कया।

षहर के बचे हुए क्षेत्रों में सीवर लाईन का कार्य तत्काल प्रारंभ कर पूर्ण करने के निर्देष निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये साथ ही आमजन को कम से कम असु वधा हो सके लये पर्याप्त बेरिकेटिंग करनेए वैकल्पिक मार्ग का चन्हांकन करने तथा नियत समय-सीमा में रिस्टोरेषन का कार्य करने के निर्देष संबं धत को दिये। कार्य स्थल पर कार्य पूर्णता की संभा वत दिनांक का बैनर लगानेए बदल मार्ग आदि के सूचना प लगाये जाने के भी निर्देष बैठक में दिये गये। सीवरेज का कार्य पूर्ण होने पर एसटीपी प्लांट में ट्रीटेड वॉटर के रियूज के संबंध में भी चर्चा की गई।

आयोजित बैठक में सहायक यंत्री श्री एम.के. जैनए निगम स चव श्री जसवंत जोषीए लेखा धकारी श्री वजय बालोद्राए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उद्यान वभाग प्रभारी श्री अर वन्द दषोत्तरए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए राजेष पाटीदारए मनीश तिवारीए ब्रजेष कुषवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़ेए प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री बी.एल. चावरेए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी आदि उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा व भन्न वार्डो की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

कार्य में लापरवाही बरतने पर 7 कर्मचारियों का वेतन काटा

रतलाम 24 फरवरी । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के साथ वार्ड क्रमांक 10ए 11 व 33 के अलावा नगर के वभन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवष्यक दिषा-निर्देष दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 10 के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में स्वच्छंद रूप से मवेषी वचरण करते पाये जाने पर मवे षयों को तत्काल

पकड़वाने के निर्देष दिये। अलकापुरी व भारत माता उद्यान के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने सफाई का कार्य मुस्तैदी के करवाये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने व बिना सूचना के अनुपस्थित कर्मचारी राहूल बिड़वान प्रभारी वार्ड 11ए राजू कल्याणे प्रभारी वार्ड 10ए राजेन्द्र फतरोड प्रभारी वार्ड 33ए नूर मोहम्मद वाहन चालक द्वारा सफाई कार्य में लापरवाही बरतने व वार्ड क्रमांक 10 में बिना सूचना के अनुपस्थित सफाई संरक्षक श्रीमती डोली-लेखराजए धीरज-रमेष व दीपक-जगदीष का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने व निलंबन की कार्यवाही कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कये जाने के निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देष दिये।

इसके अलावा बाजना बस स्टैण्ड क्षेत्र मे निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने गंदगी करने व 50 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोगकर्ताओं पर स्पॉट फाईन कये जाने हेतु गठित दलो से स्पॉट फाईन की जानकारी ली। साथ ही त्रिपो लया गेट क्षेत्र में ऐसे दुकानदार जिन्होने दुकान के बाहर छज्जे निकाले हुए है उनके छज्जे हटाये जाने व जुर्माना कये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

ईडब्ल्यूएस फ्लेट में शफ्ट होने हेतु 54 हितग्राहियों को सूचना पत्र जारी

रतलाम 24 फरवरी । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में नि र्मत ईडब्ल्यूएस फ्लेट जो क षवषंकर कालोनी स्लम बस्ती के 60 हितग्राहियों को आवंटित हुए है व उनकी रजिस्ट्री तैयार हो चुकी तथा ऋण हेतु मारगेज (बंधक नामा) तैयार हो चुका है उन्हे फ्लेट में निवास करने हेतु नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी कये गये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षवषंकर कालोनी स्लम बस्ती के 60 हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस फ्लेट आवंटित हुए है जिनमें से 6 परिवार फ्लेट में षफ्ट हो चुके हैं षेश 54 हितग्राहियों की रजिस्ट्री तैयार कर मारगेज (बंधक नामा) बैंक में रखने हेतु तैयार हो चुका है उन्हे फ्लेट में षफ्ट होने हेतु सूचना-पत्र जारी कया गया है। हितग्राही षीघ्र फ्लेट में षफ्ट होकर

आ धपत्य प्राप्त करें वहां पानीए बिजली आदि की सु वधा उपलब्ध है। इसके अलावा स्लम बस्तियों के षेश हितग्राहियों की मारगेज (बंधक नामा) तैयार होने के बाद आ धपत्य हेतु सूचना-पत्र जारी कये जावेंगे।

31 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 18 कलो पॉलीथीन जब्त

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 24 फरवरी । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000रु रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत अग्रवाल नमकीन व सोहनलाल चांदनी चौक पर 3000.3000ए हेमन्त स्टोरए छावनीवालाए बैरागी जनरल स्टोर माणक चौक पर 200.200ए राज पेंटर्सए मुकेष अग्रवालए पारस मसालेए सांवरिया कराना स्टोर माणक चौकए मयूर वॉच क्लॉथ मार्केटए वषाल बाजना बस स्टैण्डए राजूबाई चांदनी चौक पर 100.100ए संजयए छावनीवालाए गो वन्दए हैदरी जनरल स्टोरए सुनीताबाईए महेष माली माणक चौकए कैलाषीबाईए रमेषए पप्पूए जीतूए कृशणाबाईए चेतन मालीए षेखरए वजयए रेखाबाईए नि कताए राहूल बाजना बस स्टैण्ड व तीन अन्य व्यक्तियों पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 18 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

लक्कड़पीठा प्याऊ के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 37ए62ए144ध्. संपत्तिकर व 7ए91ए030ध्. जलकर जमा कराया

रतलाम 24 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ध्. व जलकर 6ए000ध्.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ध्. व जलकर 55ए775ध्.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर में संपत्तिकर 2ए38ए000ध्. व जलकर 49ए010ध्.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध्. व जलकर 43ए670ध्.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ध्. व जलकर 29ए280ध्.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ध्. व जलकर 19ए850ध्.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध्. व जलकर 48ए220ध्.ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध्. व जलकर 14ए000ध्. ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध्. व जलकर 86ए540ध्.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध्. व जलकर 3ए76ए905ध्.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध्. व जलकर 76ए470ध्.ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000ध्. व जलकर 47ए595ध्.ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध्. व जलकर 22ए680ध्.ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644ध्. व जलकर

55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ ष वर में संपत्तिकर 1ए30ए000६ व जलकर 7ए91ए030६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 37ए62ए144६ संपत्तिकर व 7ए91ए030६ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन

आयोजित षवरों में बकायादार अपनी बकाया राष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
685 मवेशयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा
रतलाम 24 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशयों को पकड़ा जायेगा क्योंक मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभयान चलाया गया तथा 24 फरवरी तक शहर के वभन्न क्षेत्रों से 685 मवेशयों को पकड़ा जाकर जिले की वभन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभयान के तहत 24 फरवरी को गांधी नगरए कस्तुरबा नगरए ग्लोबस कालोनीए मुखर्जी नगरए वनोबा नगर से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी

व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त
125 दिनों में 147 वॉल्व व 861 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 24 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 24 फरवरी तक 147 वॉल्व व 851 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।
‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 24 फरवरी बुधवार को सखवाल नगरए राम मंदिर के सामनेए जवाहर नगर सेव की दुकान के सामनेए इन्द्रा नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये। इसके अलावा गणगोरिया ठंकाला मंदिर में ट्यूबवेल से पाईप लाईन फटिंग का कार्य कया गया।
उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 24 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो

की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संब धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संब धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 24 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 24 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये

गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के वभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।
स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 24 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी

नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के वभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/24ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.